प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 16 अक्टूबर, 2024

विषय:- जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अशोकधर द्विवेदी पुत्र स्व0 रणधीर दूबे, निवासी जनपद-श्रावस्ती की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार के पत्र संख्या-34619/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-14.09.2022), दिनांक-02.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अशोकधर द्विवेदी पुत्र स्व0 रणधीर दूबे, सुविखा, थाना-गिलौला, जनपद-श्रावस्ती का निवासी है। विद्यालय के लिए आवंटित धन की हेरा-फेरी की जांच करने गये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुये विवाद के कारण बंदी ने दिनांक 14.10.2006 को तमंचे से गोली मारकर विनोद कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-04/2008 व 5/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 333, 353, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, गोण्डा के आदेश दिनांक 11.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.10.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह 20 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) में बन्दी द्वारा भविष्य में किसी भी घटना को कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, दोनों पक्षों के मध्य रंजिश वादी/गवाह को डराने-धमकाये जाने व किसी घटना को कारित करने से इंकार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि विद्यालय के लिए आवंटित धन की हेरा-फेरी की जांच करने गये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुये विवाद में बंदी ने दिनांक 14.10.2006 को तमंचे से गोली मारकर विनोद कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में किसी भी घटना को कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, 03 अन्य विचाराधीन वाद लम्बित होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोकधर द्विवेदी पुत्र स्व0 रणधीर दूबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अशोकधर द्विवेदी (बंदी संख्या-7819/2016) पुत्र स्व0 रणधीर दूबे, निवासी जनपद-श्रावस्ती के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-171/2024/3560 (1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या।

3- नोडल अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-9409/2023 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2024 व अवमानना याचिका (सि0) संख्या-3366/2024 अशोकधर द्विवेदी बनाम भास्कर पाण्डेय, संयुक्त सचिव, गृह विभाग में पारित आदेश दिनांक 28.08.2024 के सन्दर्भ में।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट पिटीशन सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-171/2024/3560/22-2-2022-17(1180)/2022

दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अशोकधर द्विवेदी पुत्र स्व0 रणधीर दूबे, सुविखा, थाना-गिलौला, जनपद-श्रावस्ती का निवासी है। विद्यालय के लिए आवंटित धन की हेरा-फेरी की जांच करने गये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुये विवाद के कारण बंदी ने दिनांक 14.10.2006 को तमंचे से गोली मारकर विनोद कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-04/2008 व 5/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302, 307, 333, 353, 504, 506 व 7 क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट एक्ट एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ, गोण्डा के आदेश दिनांक 11.02.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.10.2021 तक अपरिहार 14 वर्ष, 11 माह 20 दिन तथा सपरिहार 18 वर्ष, 06 माह 10 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ क्रि0एल0जे0 1471 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) में बन्दी द्वारा भविष्य में किसी भी घटना को कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, दोनों पक्षों के मध्य रंजिश वादी/गवाह को डराने-धमकाये जाने व किसी घटना को कारित करने से इंकार नहीं किये जाने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि विद्यालय के लिए आवंटित धन की हेरा-फेरी की जांच करने गये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से हुये विवाद में बंदी ने दिनांक 14.10.2006 को तमंचे से गोली मारकर विनोद कुमार वर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में किसी भी घटना को कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, 03 अन्य विचाराधीन वाद लम्बित होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अशोकधर द्विवेदी पुत्र स्व0 रणधीर दूबे को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नही की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in